न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 102/2022

अनवान :

1. ईश्वरसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
2. रोहताशचन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. धर्मसिंह पुत्र ठण्डुराम जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
2. नारायणी पुत्री धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
3. उर्मिला पुत्री धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
4. चन्द्रकला पुत्री धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
5. कौशल्या पुत्री धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
6. राजवीर पुत्र स्व0 जसवन्तसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
7. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 जसवन्तसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
8. कमला देवी पत्नी स्व0 जसवन्तसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा।
9. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादीगण**

वकील श्री सुरेन्द्र कुमार मील : **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

निर्णय **दिनांक : 08.06.2022**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 208/184 के खसरा सं0 3/2 की 2.858है0, खसरा सं0 384/5 की 2.479है0, खसरा सं0 5/4 की 2.580है0 कुल खसरा 3 की 7.917है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता ठण्डुराम की

Scanned with CamScanner

खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में ईश्वरसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जांगिड़ ब्रहाम्ण निवासी डूंगराना त0 भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी डूंगराना के खाता संख्या 208/184 प्रदर्श 1, जमाबंदी पैतृक कृषि भमि डूंगराना खाता सं0 110/108 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र बाबत शपथ पत्र प्रदर्श 3 जो प्रदर्शित करवाये गये।बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 स 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में तीन पुत्र ईशवरसिंह, रोहताशचन्द्र व स्व0 जसवंतसिंह व चार पुत्रीया नारायणी, उर्मिला, चन्द्रकला व कोशल्या मृतक जसवंतसिंह के उसकी पत्नी कमलादेवी व दो पुत्र राजवीर व सुरेश कुमार के अलावा वारिस प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 208/184 के खसरा सं0 3/2 की 2.858है0, खसरा सं0

Scanned with CamScanner

384/5 की 2.479है0, खसरा सं0 5/4 की 2.580है0 कुल खसरा 3 की 7.917है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में वादीगण, प्रतिवादीया सं0 8 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 208/184 के खसरा सं0 3/2 की 2.858है0, खसरा सं0 384/5 की 2.479है0, खसरा सं0 5/4 की 2.580है0 कुल खसरा 3 की 7.917है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी ईशवरसिंह, वादी रोहताशचन्द्र व प्रतिवादीया सं0 8 कमलादेवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner